

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 1584 /दिनांक 13-07-2011


आदित्यपुर टॉल ब्रिज के निर्माण के संबंध में आदित्यपुर टॉल ब्रिज कम्पनी लि० एवं झारखण्ड सरकार के बीच दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 को हस्ताक्षरित concession agreement की कंडिका 2.2(a)(ii) एवं 11 के क्रम में आदित्यपुर टॉल ब्रिज कम्पनी लि० के पत्र संख्या ATB/MD/005/530/11 एवं ATB/MD/550/11 क्रमशः दिनांक 14.02.2011 एवं दिनांक 22 मार्च, 2011 के क्रम में आदित्यपुर टॉल ब्रिज के अंकेक्षक एवं स्वतंत्र अभियन्ता की अनुशंसा के क्रम में वाणिज्यिक वाहनों (Commercial Vehicle) के परिचालन के लिए निम्नांकित रूप से प्रारंभिक टॉल दर (Initial Toll Rate) का निर्धारण किया जाता है :-

क्र०	Vehicle Category	प्रस्तावित दर रु०/वाहन
1	Three Wheeler	10
2	Car/Jeep/Van	15
3	Ligh Commercial Vehicle	20
4	Minibus	30
5	Bus	40
6	2 Axle Truck	40
7	Multi-axle Vehicle	50

2. यह अन्तरिम व्यवस्था एक वर्ष के लिए होगी। यह आगामी वर्ष में actual survey करके वर्ष 2012-13 में नया दर संसूचित किया जा सकेगा।

3. आदित्यपुर टॉल ब्रिज से दो पहिया वाहन (स्कूटर/मोटरसाइकिल/साइकिल) का परिचालन नहीं किया जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(राज कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या 1584 / रांची, दिनांक 13-07-2011

9/उ०नि०(वित्तीय मॉडल/टॉल दर)-35/2011

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि उक्त संकल्प की अतिरिक्त 100 (एक सौ) मुद्रित प्रति इस विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

13/07/11

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या 1584 / रांची, दिनांक 13-07-2011

9/उ०नि०(वित्तीय मॉडल/टॉल दर)-35/2011

प्रतिलिपि: प्रबंध निदेशक, आदित्यपुर टॉल ब्रिज कम्पनी लि०, बॉक्स नं०-जी०-67, इम्प्लायमेंट ब्यूरो बिल्डिंग, जेनरल ऑफिस, टाटा स्टील, जमशेदपुर-831001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/07/11

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या 1584 / रांची, दिनांक 13-07-2011

9/उ०नि०(वित्तीय मॉडल/टॉल दर)-35/2011

प्रतिलिपि: मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, मंत्रिमण्डल एवं समन्वय विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, सभी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी/महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/07/11

सरकार के उप सचिव